

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.2(सब)जी-39(22-23)/आ.कृ/गुप-9/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

राजस्थान सेवा नियम के नियम 56 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के अन्तर्गत श्री केशव लाल पाटीदार जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक कृषि (वि0) सागवाड़ा में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 31.05.2022 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।


(काना राम)
आयुक्त कृषि

क्रमांक प.2(सब)जी-39(22-23)/आ.कृ/गुप-9/21546-52

दिनांक: 30/05/2022

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) उदयपुर।
- 3- सहायक निदेशक कृषि (वि0) सागवाड़ा।
- 4- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- सम्बन्धित श्री केशव लाल पाटीदार सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) सागवाड़ा।
- 6- निजी पंजिका।


(कैलाश चन्द मीना)
संयुक्त निदेशक कृषि(प्रशासन)